



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267976
CG-DL-E-26112025-267976

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5231]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947

No. 5231]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5409(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोगता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1952(अ), तारीख 01.05.2025, जो भारत के राजपत्र तारीख 01.05.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आन्ध्रप्रदेश राज्य में “वाईपीएए to एमएसईए” & “एमएसईए to एमएसएनएए आई/सी बिंदु” तक प्राकृतिक गैस।

परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी.लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन विद्युत के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी। और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 25.05.2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

आर.ओ.यु.पाइपलाइन : “वाईपीएए to एमएसईए & एमएसईए to एमएसएनएए आई/सी बिंदु”

मंडल:	गाँव:	ज़िला: कृष्णा	राज्य: आन्ध्र प्रदेश		
क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
बंटूमिल्ली	पेंडुरु	228	0	14	00
		227	0	43	00
		226	0	10	00
		225	0	04	00
		73	0	04	00
		69	0	11	00
		68	0	26	00
		66	0	21	00
		64	0	28	00
		62	0	79	00
		50	0	18	00
		49	0	27	00
		47	0	02	00
		योग	02	87	00
कृतिवेन्नु	चीनपंद्रका	196	0	03	00
		199	0	29	00
		197	0	02	00

		204	0	25	00
		योग	0	59	00
कृतिवेनु	चेर्कुमिल्ली	15	0	12	00
		27	0	02	00
		योग	0	14	00
		कुल योग	03	60	00

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/14/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-52753)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5409(E).— Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas **S.O. 1952(E). dated.01.05.2025** issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Acts, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India dated 01.05.2025 the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through YPAA to MSEA and MSEA to MSNAA I/C POINT in the State of Andhra Pradesh by ONGC Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to **25.05.2025**.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User there in:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 6 of said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the ONGC Limited, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

ROU PIPELINE FROM “YPAA to MSEA & MSEA to MSNAA I/C POINT /NEW ROU/2024-2025”

Name of the Mandal	Name of the Village	District : Krishna	State :Andhra Pradesh		
		Survey Number	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Bantumilly	Pendurru	228	0	14	00
		227	0	43	00
		226	0	10	00
		225	0	04	00
		73	0	04	00
		69	0	11	00
		68	0	26	00
		66	0	21	00
		64	0	28	00
		62	0	79	00
		50	0	18	00
		49	0	27	00
		47	0	02	00
		TOTAL	2	87	00
Kruthivennu	Chinapandraka	196	0	03	00
		199	0	29	00
		197	0	02	00
		204	0	25	00
		TOTAL	0	59	00
	Cherukumilli	15	0	12	00
		27	0	02	00
		TOTAL	0	14	00
		GRAND TOTAL	03	60	00

[F. No. Expl-13011(26)/14/2025-EXPL -PNG (E-52753)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.